

1) पहचान पत्र के निर्माण पर पुस्तकालय में वाचनालय में पढ़ने के लिए पुस्तक जारी की जाएगी। किसी भी खाते पर लाइब्रेरी से किताबें नहीं लेनी हैं। इस नियम के उल्लंघन से डिफॉल्टर को स्वचालित रूप से पहचान या पहचान पत्र के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा।

Book will be issued for reading in the reading room in the library on producing the Identity Card . Books are not to be taken out of the library on any account . Infringement of this rule will make the defaulter liable to an automatic forfeiture of the Identity Card .

2) जिस समय किताब पढ़ने के कमरे में या घर में पढ़ने के लिए जारी की जाती है, उस समय छात्र को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि पुस्तक क्षतिग्रस्त नहीं है या पृष्ठ गायब या फटे नहीं हैं। यदि पन्नों की क्षति या क्षति होती है या पन्नों को फाड़ दिया जाता है, तो इसे पुस्तकालय के कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए। अन्यथा उन्हें किसी भी क्षति, हानि या फटे पन्नों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

At the time the book is issued for reading in the reading room or for home reading , the student must satisfy himself / herself that the book is not damaged or that the pages are not missing or torn . If there is a damage or loss of pages or torn of pages , it must be brought to the notice of the library staff . Otherwise they will be held responsible for any damage , loss , or torn pages.